

## कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या - प्राविपापरिषद् सम्बद्धता/2022/7817

सखनऊ दिनांक: 30/08/2022

### कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कन्वन्शंस ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अखिल नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पुनः से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चये अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1161-NEELKANTH INSTITUTE OF ENGG. & TECH.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०टी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, रजिस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करने की तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की हकीकत पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की हकीकत पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षों की हकीकत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तु द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पत्र निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, तो पीस की गवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमवली/विनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०,



